1005
**संख्या-5 /2025/1005 63-व030-2025-06(एच)/2025**

**प्रेषक,**

**अनिल कुमार सागर,**
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में,**

**आयुक्त एवं निदेशक,**
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय,
उ0प्र0, कानपुर।

**हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग** **लखनऊ: दिनांक: 03 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर , 2025**

**विषय- संत कबीर टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क योजना सम्बन्धी दिशा-निर्देश विषयक।**

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-184/ह०क०-नियोजन/2025-26 दिनांक 09-मई 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से संत कबीर टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क योजना सम्बन्धी दिशा-निर्देश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2 - सम्यक विचारोपरांत संत कबीर टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क योजना सम्बन्धी दिशा-निर्देश अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया है, जोकि संलग्नक-01 पर है | वितीय वर्ष-2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-06 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-102-लघु उद्योग-05-मुख्यमंत्री वस्त्र एवं परिधान पार्क योजना हेतु नई योजना के अन्तर्गत धनराशि रू0 100.00 लाख का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री वस्त्र एवं परिधान पार्क योजना को "संत कबीर टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क योजना" के नाम से संचालित किया जाना है | अतः पृथक से प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए |

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

**संलग्नक- यथोक्त।**

Digitally signed by
ANIL KUMAR SAGAR
Date: 03-10-2025
13:59:21

भवदीय,

**( अनिल कुमार सागर )**
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

**प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-**

1- प्रमुख सचिव, स्टाम्प व निबंधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औधोगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।
7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**
Digitally signed by
SURABHI SINGH
Date: 03-10-2025
15(सुरभि सिंह)
**अनु सचिव।**

**संलग्नक-01**

# संत कबीर टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क योजना सम्बन्धी दिशा-निर्देश

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **परिचय** | भारत का वस्त्र उद्योग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो औद्योगिक विकास, निर्यात वृद्धि और व्यापक पैमाने पर रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभाता है। वस्त्र उद्योग, विशेषकर महिलाओं सहित, 45 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से तथा लाखों अन्य को अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका प्रदान करता है। यह उद्योग देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 2% और कुल औद्योगिक उत्पादन में 11% का योगदान करता है। वस्त्र उद्योग का कुल बाजार मूल्यांकन लगभग ₹14.88 लाख करोड़ है, जिसमें से ₹11.84 लाख करोड़ घरेलू खपत और ₹3.04 लाख करोड़ निर्यात से आता है। भारत कपास, जूट, रेशम, ऊन और सिंथेटिक फाइबर जैसे प्रमुख वस्त्रों का विश्व में अग्रणी उत्पादक है और इसकी आपूर्ति श्रृंखला (value chain) मजबूत और पूर्णतः एकीकृत है।<br>**2-** भारत सरकार ने विकसित भारत की परिकल्पना के तहत, वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में वर्ष 2030 तक रू0 26.61 लाख करोड़ (USD 350 बिलियन) के बाजार आकार (Market size) और रू0 8.46 लाख करोड़ (USD 100 बिलियन) के निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश के कुल निर्यात में वस्त्र उद्योग का योगदान लगभग 10% है। प्रदेश में नोयडा एवं कानपुर वस्त्र क्षेत्र के महत्वपूर्ण केन्द्र है। वस्त्र एवं परिधान उद्योग उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।<br>**3-** हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा वस्त्र उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वस्त्र नीति-2014, 2017 एवं 2022 लागू की गयी है। वस्त्र नीति-2017 के अन्तर्गत राज्य सरकार को लगभग रू0 2,000 करोड़ के 219 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से 80 निवेशकों को निवेश को उपरान्त, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने पर कुल धनराशि रू0 210.00 करोड़ का अनुदान प्रदान किया गया। इसी प्रकार वस्त्र नीति-2022 के सुगम प्राविधानों के दृष्टिगत बड़े पैमाने पर निवेशकों द्वारा रूचि दिखायी गयी है। वस्त्र नीति-2022 के अन्तर्गत अभी तक लगभग धनराशि रू0 6,000 करोड़ के कुल 225 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो कि पूर्व नीति के सापेक्ष 3 गुना अधिक निवेश को दर्शाता है। राज्य में बढ़े हुए निवेश और उद्योगों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये वस्त्र एवं परिधान उद्योग को सुविकसित भूमि एवं आधारभूत ढांचे की प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर उपलब्धता की आवश्यकता है। वस्त्र क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकताओं एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप, उत्तर प्रदेश के टेक्सटाइल एवं अपैरल क्षेत्र में परिवर्तन एवं सुधार लाने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा "संत कबीर टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क योजना" प्रारम्भ की जा रही है। योजनांतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व वाली भूमि पर एकीकृत टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क की स्थापना की जायेगी। इस योजना के माध्यम से अत्याधुनिक अवसंरचना से सुसज्जित वस्त्र एवं अपैरल पार्कों के निर्माण को सुविधाजनक बनाया जायेगा, जिससे इन पार्कों में स्थापित होने वाले वस्त्र उद्योगों को वैश्विक स्तर पर मजबूत व्यापारिक पारिस्थितिक तंत्र उपलब्ध होगा, फलस्वरूप प्रदेश के वस्त्र उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होकर वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन सकेंगे। |
| 2. | **योजना के उद्देश्य** | a. **भूमि एवं अवस्थापना सम्बन्धी उद्देश्य**<br>i. वस्त्र उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर भूमि उपलब्ध कराना<br>ii. वस्त्र विनिर्माण संक्रियाओं को तीव्र गति से प्रारम्भ करने के लिए वस्त्र उद्योगों को रेडीमेड प्लग एण्ड प्ले सुविधा उपलब्ध कराना।<br>b. **एकीकृत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना**: वस्त्र पार्क के भीतर वस्त्र क्षेत्र विनिर्माण की प्रारम्भ से अंत तक की समस्त संक्रियाओं के संचालन को सुविधाजनक बनाना, ताकि प्रदेश के वस्त्र उद्योग अधिक दक्षता के साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बन सकें।<br>c. **प्रदेश की वस्त्र इकाईयों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि करना:** लॉजिस्टिक लागत को कम करना एवं संचालन को सुगम बनाना, ताकि टेक्सटाइल एवं अपैरल क्षेत्र की समग्र प्रतिस्पर्धा में प्रदेश की वस्त्र इकाईयाँ सक्षम होकर आगे बढ़ सकें।<br>d. **रोजगार सृजन:** प्रदेश में रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करना, विशेष रूप से महिलाओं एवं कुशल श्रमिकों के लिए, ताकि उत्तर प्रदेश में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके। |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | **टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क की परिभाषा** | a. पार्क का विकास न्यूनतम 50 एकड़ भूमि क्षेत्र पर करना होगा। 50 एकड़ से छोटे भूमि भूखंडों पर पार्कों के लिए प्रस्तावों को उच्च स्तरीय सशक्त समिति (High Level Empowered Committee) से अनुमोदन की आवश्यकता होगी।<br>b. उन पार्कों में जहां वस्त्र प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किये जायेंगे, वहाँ कॉमन इफ्लूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (C.E.T.P.) की स्थापना करना अनिवार्य होगा।<br>c. पार्क में न्यूनतम 10 इकाइयाँ स्थापित होंगी और किसी भी एकल इकाई को कुल उपलब्ध औद्योगिक भूमि क्षेत्र के 40 प्रतिशत से अधिक भूमि आवंटित नहीं की जायेगी।<br>d. पार्क में वस्त्र उद्योगों से सम्बन्धित उद्योगों, जैसे बटन निर्माण, ज़िपर निर्माण, फास्टनर एवं क्लोजर, ट्रिम्स, लेबल एवं टैग उत्पादन, साथ ही साथ गत्ते एवं पैकेजिंग उद्योग, गोदाम तथा अन्य सम्बद्ध उद्योगों की स्थापना की जायेगी। इन सम्बद्ध उद्योगों की स्थापना एवं पार्कों के चरणबद्ध विकास के लिए परियोजना अनुमोदन समिति (P.A.C.) से स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। |
| 4. | **प्रक्रिया** | a. **नोडल एजेन्सी:-** "उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 (U.P. Act No.6 of 1976)" के तहत एक एजेन्सी की स्थापना की जायेगी, जिसका नाम "उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं अपैरल औद्योगिक विकास प्राधिकरण" होगा। यह प्राधिकरण इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।<br>b. नोडल एजेंसी पार्क के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करेगी, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार का सम्बन्धित विभाग, जिसके नाम भूमि का मालिकाना हक होगा, नोडल एजेंसी को 99 वर्षों की अवधि के लिए प्रति एकड़ 1 रुपये की वार्षिक पट्टे की दर पर वांछित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये स्थानांतरित करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार इस प्राधिकरण को भूमि स्थानांतरण के लिए लागू स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क से भी 100 प्रतिशत छूट प्रदान करेगी।<br>c. नोडल एजेंसी द्वारा एक परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जायेगा, जिसमें एक व्यवहारिकता अध्ययन (feasibility study) सम्मिलित होगा। प्रस्ताव में पार्क के अंतर्गत स्थापित किये जाने वाले टेक्सटाइल एवं अपैरल उद्योग के प्रकार, प्रारंभिक मांग, मूल्यांकन, निष्कर्ष एवं विकसित भूमि भूखंडों की अपेक्षित बिक्री-कीमतों का भी उल्लेख होगा। नोडल एजेंसी द्वारा तैयार प्रस्ताव को परियोजना अनुमोदन समिति (P.A.C.)के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।<br>d. परियोजना अनुमोदन समिति (P.A.C.) द्वारा प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जायेगा तथा परियोजना के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित कार्यान्वयन के दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प का निर्धारण किया जायेगा:-<br>i. विकल्प-1: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर पार्क का विकास<br>ii. विकल्प-2: नोडल एजेंसी द्वारा सीधे पार्क का विकास<br>e. विकल्प-1: (PPP मॉडल पर पार्क का विकास) - यदि परियोजना अनुमोदन समिति (P.A.C.) पार्क विकास के लिए PPP मॉडल को मंजूरी देती है, तो नोडल एजेंसी पार्क के विकास, संचालन एवं रख-रखाव के लिए एक निजी क्षेत्र के मास्टर डेवलपर को नियुक्त करेगी। इस सम्बन्ध में लेन-देन-दस्तावेज (transaction documents) नोडल एजेंसी द्वारा "उत्तर प्रदेश में PPP परियोजनाओं के लिए सलाहकारों और डेवलपर्स के चयन के लिए दिशानिर्देश-2016 (संशोधित)" दिनांक 29.06.2018 के अनुसार या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी पश्चातवर्ती संशोधनों के अनुसार तैयार किए जाएंगे। लेन-देन-दस्तावेजों में विशिष्ट प्रक्रियाएं (योग्यता के लिए अनुरोध, प्रस्ताव के लिए अनुरोध, एवं मसौदा छूट समझौता) परिभाषित की जाएंगी।<br>f. **विकल्प 2 (नोडल एजेंसी द्वारा सीधे पार्क का विकास)** - कुछ स्थानों पर जहां PPP मॉडल के तहत पार्क का विकास संभव नहीं है, अथवा जहां प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर भूमि प्रदान करने का प्राथमिक उद्देश्य PPP मॉडल के माध्यम से प्राप्त नहीं होता है, तो पार्क का विकास सीधे नोडल एजेंसी द्वारा किया जाएगा।<br>g. कार्यान्वयन के दोनों विकल्पों के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार पार्क के प्रवेश द्वार तक संपर्क-मार्ग/सड़क एवं विद्युत आपूर्ति को सुविधाजनक बनाएगी। नोडल एजेंसी उत्तर प्रदेश सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होगी, ताकि प्रस्ताव तैयार किए जा सकें एवं राज्य सरकार के बजट के माध्यम से परियोजना का कार्यान्वयन समय से किया जा सके।<br>h. पर्यावरण संबंधी सभी अनापत्ति भारत सरकार / उत्तर प्रदेश सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार |

| | | |
|---|---|---|
| | | प्राप्त की जाएंगी। पार्क में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) की स्थापना उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) के दिशा-निर्देशों और विनियमों के अनुरूप की जाएगी। अपशिष्ट जल की गुणवत्ता पर्यावरण संबंधित कानूनों एवं यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार बनाए रखना अनिवार्य होगा। साथ ही, पार्क का विकास वन विभाग, भूजल विभाग तथा अन्य संबंधित विनियामक प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त करने के उपरांत ही किया जाएगा, जैसा कि संबंधित नियमों एवं विनियमों में निर्धारित है। |
| 5. | **वित्तपोषण और अनुदान का निर्गमन** | a. योजना की सञ्चालन अवधि पांच वर्ष की होगी, जिस पर लगभग धनराशि रु. 250.00 करोड़ का अनुमानित व्ययभार आएगा \|<br>b. **विकल्प-1 (PPP मोड पर विकास) के अंतर्गत वित्तपोषण एवं अनुदान का निर्गमन:-** पार्क के भीतर अवसंरचना के विकास एवं निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार निजी क्षेत्र के मास्टर डेवलपर को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत पूंजी अनुदान प्रदान किया जायेगा। परियोजना लागत के आगणन में आंतरिक सड़क; विद्युत वितरण अवसंरचना; जल एवं अपशिष्ट जल उपचार तथा अन्य सुविधाएं; टेक्सटाइल डिजाइनरों, अपैरल निर्माताओं, सहायक निर्माताओं के लिए प्लग एंड प्ले अवसंरचना का विकास; फैक्ट्री साइट; इंक्यूबेशन सेंटर, सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (C.E.T.P.), श्रमिकों का हॉस्टल एवं आवास (विशेष रूप से महिला श्रमिकों के लिए), स्वास्थ्य सुविधा, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास, गोदाम, लॉजिस्टिक्स आदि की लागत को सम्मिलित किया जायेगा। पूंजी अनुदान की अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये प्रति एकड़ होगी। मास्टर डेवलपर को अनुमन्य पूंजी अनुदान की सम्पूर्ण धनराशि 06 किस्तों में निर्गत की जायेगी। किस्तों की धनराशि एवं किस्तों के निर्गमन हेतु पात्रता शर्तों का विवरण परिशिष्ट-I में अंकित है।<br>c. विकल्प-2 (नोडल एजेंसी द्वारा सीधे पार्क का विकास) के अंतर्गत वित्तपोषण एवं अनुदान का निर्गमन:- पार्क के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार नोडल एजेन्सी को परियोजना की लागत के बराबर एक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी, जिसमें 05 वर्षों की मोरेटोरियम अवधि एवं 05 वर्षों की पुनर्भुगतान अवधि होगी। उत्तर प्रदेश सरकार से ली गयी ऋण धनराशि का भुगतान नोडल एजेंसी द्वारा पार्क में विभिन्न माध्यमों से उत्पन्न/प्राप्त राजस्व से किया जायेगा, जिसके अंतर्गत बिक्री, विकसित भूमि का पट्टा, सुविधाओं का किराया एवं अन्य माध्यम सम्मिलित हैं। नोडल एजेंसी द्वारा सम्पादित की जाने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित है:-<br>i. नोडल एजेंसी पार्क के विकास के लिए सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगी, जिसमें पर्यावरणीय मंजूरी तथा वन विभाग एवं भूजल विभाग से आवश्यक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) सम्मिलित हैं।<br>ii. नोडल एजेंसी औद्योगिक क्षेत्रों के विकास एवं निर्माण हेतु विद्यमान नियमों के अनुसार निर्माण एजेन्सी का चयन कर सकेगी।<br>iii. नोडल एजेंसी द्वारा निर्माण एजेन्सी से पृथक स्वतंत्र अभियंताओं का चयन किया जायेगा, जो गुणवत्ता, लागत एवं सुरक्षा आदि के संदर्भ में परियोजना की निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे।<br>iv. नोडल एजेंसी विपणन गतिविधियों, C.E.T.P. के संचालन एवं प्रबंधन, पार्क की अन्य सुविधाओं के संचालन आदि के लिए अन्य एजेंसियों को भी नियुक्त करेगी।<br>v. नोडल एजेंसी भूमि आवंटन नीति तैयार करेगी और इसे परियोजना अनुमोदन समिति (P.A.C.) से अनुमोदित कराएगी। अनुमोदित नीति के अनुसार उद्योगों को भूमि का आवंटन किया जाएगा।<br>vi. नोडल एजेंसी द्वारा पार्क से राजस्व संग्रह भी किया जायेगा, **यथा:** अग्रिम प्रीमियम, वार्षिक भूमि पट्टा आदि। पार्क में स्थापित उद्योगों से एकत्रित C.A.M. (Common Area Maintenance) शुल्क के माध्यम से नोडल एजेंसी द्वारा पार्क का रखरखाव किया जायेगा। नोडल एजेंसी अपने ओवरहेड चार्ज के लिए पार्क से उत्पन्न राजस्व का एक निश्चित प्रतिशत रख सकती है। शेष धनराशि को ऋण समायोजन के रूप में सरकारी कोश में जमा किया जायेगा। |

<table>
<tr><td>6.</td><td>पार्क में स्थापित होने वाली वस्त्र इकाईयों को वित्तीय सहायता</td><td>योजनांतर्गत विकसित होने वाले पार्कों के भीतर स्थापित होने वाली वस्त्र इकाईयों को वह समस्त वित्तीय सुविधायें देय होंगी, जो उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं गारमेन्टिंग पॉलिसी-2022 के अन्तर्गत वस्त्र इकाईयों को अनुमन्य है।</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>परियोजना अनुमोदन समिति (P.A.C.)</td><td>a. संरचना: परियोजना अनुमोदन समिति की संरचना निम्नवत् होगी:-
<table>
<tr><td>1</td><td>अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 शासन</td><td>अध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>2</td><td>आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0।</td><td>सदस्य समन्वयक</td></tr>
<tr><td>3</td><td>अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी।</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>4</td><td>अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी।</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>5</td><td>प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी।</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>6</td><td>अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी।</td><td>सदस्य</td></tr>
</table>
b. कार्य एवं दायित्व:<br>
i. योजना के लिए समग्र मार्गदर्शन और रणनीतिक दिशा प्रदान करना, जिसमें परियोजना कार्यान्वयन की निगरानी एवं अनुश्रवण सम्मिलित है।<br>
ii. परियोजना कार्यान्वयन के तरीके को मंजूरी देना (विकल्प 1- PPP मोड या विकल्प 2- नोडल एजेंसी द्वारा सीधे कार्यान्वयन)।<br>
iii. नोडल एजेंसी द्वारा सीधे कार्यान्वयन की स्थिति में निर्माण एजेंसी को अंतिम रूप देना।<br>
iv. मास्टर डेवलपर या नोडल एजेंसी द्वारा तैयार मास्टर प्लान को स्वीकृति प्रदान करना।<br>
v. भूमि आवंटन नीति और भूमि मूल्य निर्धारण पद्धति को मंजूरी देना। किसी भी विवाद की स्थिति में, विषय को उच्च स्तरीय सशक्त समिति के पास ले जाया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।<br>
vi. उच्च स्तरीय सशक्त समिति (H.L.E.C.) के समक्ष परियोजना की स्वीकृति के लिए परियोजना की अनुशंसा करना।<br>
vii. मास्टर डेवलपर या नोडल एजेंसी को वित्तीय सहायता की धनराशि अवमुक्त करना।<br>
viii. परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करना।</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>8.</td>
<td>उच्च स्तरीय सशक्त समिति (High Level Empowered Committee) (H.L.E.C.)</td>
<td>
a. संरचना: उच्च स्तरीय सशक्त समिति की सदस्य संरचना निम्नवत् होगी:-
<table>
<tr><td>1</td><td>अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त , उ0प्र0 शासन।</td><td>अध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>2</td><td>अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 शासन।</td><td>सदस्य समन्वयक</td></tr>
<tr><td>3</td><td>अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>4</td><td>अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>5</td><td>प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>6</td><td>अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td></td><td>आवश्यकता होने पर समिति अन्य विभागों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकती है।</td><td></td></tr>
</table>
b. कार्य एवं दायित्व:<br>
i. परियोजना अनुमोदन समिति (P.A.C.) द्वारा अनुशंसित परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना।<br>
ii. प्रस्तावित परियोजनाओं एवं क्रियान्वित परियोजनाओं की समय-समय पर समीक्षा करना।<br>
iii. (P.A.C.) द्वारा स्वीकृत भूमि आवंटन नीति एवं भूमि मूल्य निर्धारण पद्धति के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में अंतिम निर्णय प्रदान करना।
</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>परियोजना का अनुश्रवण</td>
<td>
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इस योजना के तहत परियोजनाओं की प्रगति का अनुश्रवण किया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग/नोडल एजेन्सी द्वारा परियोजना प्रबंधन एजेंसी (P.M.A.) को नियुक्त किया जायेगा। P.M.A. द्वारा योजना के कार्यान्वयन में निम्नानुसार तकनीकी सहायता प्रदान की जायेगी:-<br>
a. योजनांतर्गत पार्क की स्थापना हेतु स्थल का चयन एवं व्यावहारिकता अध्ययन करना।<br>
b. अनिवार्य अनुमोदन, यथाः- पर्यावरणीय मंजूरी आदि<br>
c. निविदा दस्तावेजों की तैयार करना तथा सर्वेक्षण, D.P.R., पर्यवेक्षण आदि के लिए एजेंसियों का चयन करना।<br>
d. योजना से सम्बन्धित कार्य की आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विभागों, प्राधिकरणों एवं अन्य हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करना एवं समय-समय पर सम्पर्क करना।<br>
e. मास्टर डेवलपर्स का चयन एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के कार्य में सहायता करना।<br>
f. भूमि आवंटन नीति को तैयार करने में सहायता करना और भूमि निर्धारण तंत्र विकसित करना।<br>
g. निगरानी एवं कार्यान्वयन में सहायता करना।
</td>
</tr>
</table>

# परिशिष्ट-1

## मास्टर डेवलपर को पूंजी अनुदान की किस्तें एवं किस्तों के निर्गमन हेतु पात्रता शर्तों का विवरण

| क्र0 | किस्त का विवरण | किस्त की धनराशि | किस्त की धनराशि प्राप्त करने हेतु पात्रता की शर्तें |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रथम किस्त | निम्नलिखित में से जो भी कम हो:-<br>• मास्टर डेवलपर द्वारा व्यय की गयी धनराशि का 50 प्रतिशत।<br>अथवा<br>• आगणित वित्तीय सहायता की 5 प्रतिशत धनराशि। | 1. मास्टर डेवलपर द्वारा आवश्यक संसाधन जुटाकर पार्क का विकास कार्य प्रारम्भ कर दिया गया हो, तथा<br>2. कुल परियोजना लागत की 10 प्रतिशत धनराशि व्यय की जा चुकी हो। |
| 2 | द्वितीय किस्त | निम्नलिखित में से जो भी कम हो:-<br>• मास्टर डेवलपर द्वारा व्यय की गयी धनराशि का 50 प्रतिशत।<br>अथवा<br>• आगणित वित्तीय सहायता की 10 प्रतिशत धनराशि (क्रमिक) | 1. पार्क के कुल क्षेत्रफल की 25 प्रतिशत भूमि पर विकास कार्य पूर्ण कर दिया गया हो, तथा<br>2. कुल औद्योगिक क्षेत्र का 15 प्रतिशत विकसित किया जा चुका हो। |
| 3 | तृतीय किस्त | निम्नलिखित में से जो भी कम हो:-<br>• मास्टर डेवलपर द्वारा व्यय की गयी धनराशि का 50 प्रतिशत।<br>अथवा<br>• आगणित वित्तीय सहायता की 40 प्रतिशत धनराशि (क्रमिक) | 1. पार्क के कुल क्षेत्रफल की 50 प्रतिशत भूमि पर विकास कार्य पूर्ण कर दिया गया हो, तथा<br>2. सुविधायें (**यथाः**-प्लग एण्ड प्ले) संख्या में 50 प्रतिशत तक पूर्ण की जा चुकी हों, तथा<br>3. कुल औद्योगिक क्षेत्र का 30 प्रतिशत विकसित किया जा चुका हो। |
| 4 | चतुर्थ किस्त | निम्नलिखित में से जो भी कम हो:-<br>• मास्टर डेवलपर द्वारा व्यय की गयी धनराशि का 50 प्रतिशत।<br>अथवा<br>• आगणित वित्तीय सहायता की 60 प्रतिशत धनराशि (क्रमिक) | 1. पार्क के कुल क्षेत्रफल की 80 प्रतिशत भूमि पर विकास कार्य पूर्ण कर दिया गया हो, तथा<br>2. सुविधायें (**यथाः**-प्लग एण्ड प्ले) संख्या में 80 प्रतिशत तक पूर्ण की जा चुकी हों, तथा<br>3. कुल औद्योगिक क्षेत्र का 70 प्रतिशत विकसित किया जा चुका हो। |
| 5 | पांचवी किस्त | निम्नलिखित में से जो भी कम हो:-<br>• मास्टर डेवलपर द्वारा व्यय की गयी धनराशि का 50 प्रतिशत ।<br>अथवा<br>• आगणित वित्तीय सहायता की 80 प्रतिशत धनराशि (क्रमिक) | 1. पार्क के 100 प्रतिशत भूमि पर विकास कार्य पूर्ण कर दिया गया हो, तथा<br>2. समस्त सुविधायें (**यथाः**-प्लग एण्ड प्ले) 100 प्रतिशत तक पूर्ण की जा चुकी हों, तथा<br>3. पार्क का 100 प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा चुका हो।<br>4. अनुमोदित मास्टर प्लान के अनुसार बिक्री योग्य भूमि के 80 प्रतिशत भूमि आवंटन पूर्ण की जा चुकी हों। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | छठी किस्त | आगणित वित्तीय सहायता की 100 प्रतिशत धनराशि (क्रमिक) | 1. पार्क के 80 प्रतिशत उद्योगों ने अपने वाणिज्यक उत्पादन शुरू कर दिए हों।<br>2. 05 वर्षों की अवधि तक पार्क का संचालन एवं अनुरक्षण सफलतापूर्वक किया गया हो। |